

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर  
CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL:RAIPUR

(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvedic Parishad Adhiniyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)

First Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalipara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur – 492001 (C.G.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393

www.cgmedicalcouncil.org

E-mail: cg\_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक सीजीएमसी/शिका. 149/2022-25/ 97

रायपुर दिनांक 28/03/2025

//आदेश//

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर में डॉ. समीत राज प्रसाद, सिद्धिविनायक बच्चो का अस्पताल, भिलाई 03 सिरसा गेट, जिला दुर्ग के विरुद्ध श्री डिकेश कुमार वर्मा, पिता श्री महेश कुमार वर्मा, सागर पारा देवबलौदा, जिला दुर्ग के द्वारा अपने पुत्र शिवांश वर्मा उम्र 10 माह के बच्चे का ईलाज के दौरान मौत होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराया गया था।

प्रस्तुत शिकायत में समिति के द्वारा पक्षकारो को सुना गया। शिकायतकर्ता की शिकायत, अनावेदक का उत्तर एवं उपलब्ध उपचार अभिलेखो के अध्ययन/परीक्षण उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चिकित्सक डॉ. समीत राज प्रसाद, के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् के पंजीयन क्रमांक सीजीएमसी 5672/2014 दिनांक 07.08.2014 को तीन माह (03) दिनांक 28.03.2025 से दिनांक 27.06.2025 तक के लिए निलंबित किया जाता है।

इस आदेश के प्रभावी होने के फलस्वरूप अनावेदक चिकित्सक डॉ. समीत राज प्रसाद चिकित्सा पद्धति (एलौपैथी) में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

अपील के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना:- नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम 2019 की धारा 30 (3) के प्रभाव को देखते हुए दिनांक 06.10.2021 को नेशनल मेडिकल कमीशन की हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी राज्य की नैतिकता, अनुशासनात्मक एवं रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होने की स्थिति में केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर ही उक्त निर्णय के विरुद्ध विधि में निर्धारित समयावधि में नेशनल मेडिकल कमीशन के कार्यालय पॉकेट 01 सेक्टर 08 द्वारका नई दिल्ली में अपील कर सकते हैं।

(संचालक स्वास्थ्य सेवार्ये सह अध्यक्ष छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद् के द्वारा अनुमोदित)

  
रजिस्ट्रार

छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर  
रायपुर दिनांक:- 28/03/2025

पृ.क्रमांक/सीजीएमसी/शिका 149/2022-25/ 98

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर-08, द्वारका नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

do

निरंतर ....02

//2//

3. आयुक्त/संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सेक्टर 19, स्वास्थ्य भवन, प्रथम तल, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ ।
4. आयुक्त/संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ सेक्टर 19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ ।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर -19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर पिन कोड 492002
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़
7. डॉ. समीत राज प्रसाद, सिद्धिविनायक बच्चो का अस्पताल, भिलाई 03 सिरसा गेट, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश के संदर्भ में मूल स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर कार्यालय में जमा करे।
8. श्री डिकेश कुमार वर्मा, पिता श्री महेश कुमार वर्मा, सागर पारा देवबलौदा, जिला दुर्ग छ.ग.।
9. छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. समस्त शाखाएं, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आदेश नस्ती।



रजिस्ट्रार

छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर

40